



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 80]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

फा.सं. 2(1)/2013-एसपीएस.—भारत सरकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में औद्योगिक विकास को गति देने के हेतु राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए स्पेशल पैकेज-II के तहत केन्द्रीय अनुदान या राजसहायता की निम्नलिखित योजना के विस्तार को अधिसूचित करती है।

- संक्षिप्त नाम :-** इस योजना को केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2013 कहा जाए। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी।
- योजना का प्रारम्भ और अवधि:-** यह योजना 7 जनवरी, 2013 से 31.03.2017 तक लागू रहेगी।
- योजना लागू होना:-** यह योजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों द्वारा स्थापित विकास केंद्रों अथवा औद्योगिक अवसंरचना विकास केंद्रों (आईआईडीसी) अथवा औद्योगिक संपदा/पार्क/निर्यात संवर्धन जोन तथा वाणिज्यिक संपदा में सभी नई औद्योगिक इकाइयों और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू होगी। यह योजना इन विकास केंद्रों तथा अन्य चिह्नित स्थानों के बाहर स्थित विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण उद्योगों (अनुबंध- I) में पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगी।
- स्वीकार्य राजसहायता की सीमा:-**
सभी नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है।

5. पात्रता अवधि:-

यह राजसहायता इस योजना अवधि के दौरान ऐसी इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जो पूर्व पंजीकृत हों तथा जिन्होंने दिनांक 31.03.2017 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया हो। इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा दायर करना चाहिए।

6. पूर्ववर्ती राजसहायता योजना के तहत 07-01-2013 से पहले पंजीकृत तथा वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत करने वाली औद्योगिक इकाई पूर्ववर्ती योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र होगी। दिनांक 07-01-2013 को या उसके बाद पंजीकरण कराने वाली इकाइयां वर्तमान योजना के तहत शामिल होंगी। तथापि, बीच की अवधि के दौरान पैकेज न होने के कारण यदि ऐसी इकाई ने डीआईसी (जिला उद्योग केन्द्र) में पंजीकरण नहीं कराया है अथवा वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया है तो इकाई 31 मई, 2014 तक ऐसा कर सकती है।

7. परिभाषाएं:

- (i) 'औद्योगिक इकाई' का अर्थ वह औद्योगिक इकाई है जहां सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले कार्यक्रम के अलावा विनिर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 30-09-1991 के पत्र सं. 2(3)/91-एसएसआई.बीडी. में परिभाषित किए गए अनुसार उपयुक्त मरम्मत इकाई चलाई जाती है।
- (ii) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ वह औद्योगिक इकाई है जिसने 7 जनवरी, 2013 को अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया हो।
- (iii) 'विद्यमान औद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने 7 जनवरी, 2013 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया हो।
- (iv) 'पर्याप्त विस्तार' का अर्थ है क्षमता विस्तार के प्रयोजन से औद्योगिक इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी में नियत पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से कम की वृद्धि नहीं की हो।
- (v) 'अचल पूंजी निवेश' का अर्थ है इस योजना के प्रयोजनार्थ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करना।
- (vi) 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों' का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत वर्गीकृत उद्यम।
- (vii) संयंत्र एवं मशीनरी की कीमत की गणना करने में, स्थल पर स्थित औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इससे आगे का स्पष्टीकरण नोट अनुबंध-II पर दिया गया है।

8. राजसहायता के लिए दावों का अनुमोदन निम्नवत् होगा :-

- (i) सचिव, उद्योग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति राजसहायता संबंधी दावे अनुमोदित करेगी। राज्य स्तरीय समिति की संरचना अनुबंध- III पर दी गई है।
- (ii) उपर्युक्त पैरा (i) के तहत दावों के अनुमोदन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

9. **निषेध सूची:-** केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2013 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची अनुबंध-IV पर दी गई है।

10. पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, जिनके लिए नकद भुगतान किया गया है, पर किया गया व्यय राजसहायता के विचारार्थ पात्र नहीं होगा।

11. कोई भी इकाई केन्द्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की योजना में से केवल एक की योजना के तहत राजसहायता प्राप्त कर सकती है। राजसहायता की मांग करने वाली इकाई को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने समान प्रयोजन अथवा क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से राजसहायता प्राप्त नहीं की है अथवा राजसहायता के लिए आवेदन नहीं किया है।

12. राजसहायता के संवितरण के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसी

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) तथा उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य के लिए पूंजी निवेश राजसहायता का संवितरण करने के लिए निर्धारित एजेंसी होगी। एचपीएसआईडीसी तथा एसआईडीसीयूएल मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र इकाइयों को राजसहायता के संवितरण के लिए जारी की गई निधि के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। एचपीएसआईडीसी तथा एसआईडीसीयूएल पीएओ द्वारा नोडल एजेंसी के खाते में निधि जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईसीएस और आरटीजीएस प्रणाली के जरिए पात्र औद्योगिक इकाई को राजसहायता जारी करेंगे।

13. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार:

यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्थाएं इस बात से संतुष्ट होती हैं कि औद्योगिक इकाई ने अनिवार्य तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा, झूठी सूचना देकर राजसहायता या अनुदान प्राप्त किया है अथवा इकाई ने पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन बंद कर दिया है तो उस इकाई को सुनवाई का अवसर देकर उससे अनुदान या राजसहायता लौटाने के लिए कहा जा सकता है।

14. किसी भी औद्योगिक इकाई के स्वामी को आंशिक अथवा पूरा अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद पांच वर्ष के भीतर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था की पूर्वानुमति के बिना औद्योगिक इकाई के स्थान में पूरी तरह अथवा उसके किसी भाग में बदलाव करने अथवा अपने कुल अचल पूंजी निवेश के बहुत बड़े भाग का अधिक संकुचन या निपटान करने की अनुमति नहीं होगी।

15. इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई की वास्तविक स्थापना तथा कार्य-स्थिति का 100 प्रतिशत वास्तविक सत्यापन राज्य सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए किया जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र इकाइयों की कार्यप्रणाली के बारे में उद्योग निदेशालय और एचपीएसआईडीसी तथा एसआईडीसीयूएल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात एचपीएसआईडीसी तथा एसआईडीसीयूएल इस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की कार्य प्रणाली के बारे में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुदान या राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान किए गए अपने कार्यों के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी, जिसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) तथा उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) को भेजेगी।

16. 2% परिव्यय पीएमए की नियुक्ति सहित निगरानी और आईडीसी के लिए रखा जाएगा।

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए मुख्य उद्योगों की सूची

क्र.सं.	मुख्य उद्योगों की सूची
01.	पुष्पोत्पादन
02.	चिकित्सकीय औषधी और सुगंधित औषधी आदि - प्रसंस्करण
03.	शहद
04.	वागवानी और कृषि आधारित उद्योग जैसे:- क. चटनियां, कैचप आदि ख. फलों का रस तथा फलों का गूदा ग. जैम, जैली, सब्जियों का रस, प्यूरी, अचार आदि घ. संरक्षित फल और सब्जियां ङ. पैकेजिंग सहित ताजे फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण। च. मशरूम का प्रसंस्करण, संरक्षण, पैकेजिंग।

05.	निषेध सूची में शामिल उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
06.	चीनी तथा इसके सह-उत्पाद
07.	रेशम तथा रेशम के उत्पाद
08.	ऊन तथा ऊन से बने उत्पाद
09.	बुना हुआ कपड़ा (उत्पाद शुल्क योग्य कपड़े)
10.	खेल-कूद का सामान एवं वस्तुएं तथा सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण और साहसिक, खेल-कूद संबंधी क्रियाकलापों के उपकरण
11.	निषेध सूची में शामिल उत्पादों को छोड़कर कागज तथा कागज से बने उत्पाद
12.	भेषज उत्पाद
13.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर
14.	मिनरल वॉटर को बोटलबंद करना।
15.	पारिस्थितिकी पर्यटन:- होटल, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क, रज्जुमार्ग
16.	औद्योगिक गैसों (वायुमंडलीय अंश के आधार पर)
17.	हस्तशिल्प
18.	गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद आधारित उद्योग

अनुबंध-II

क. संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना के लिए शामिल किए जाने वाले घटक

- विनिर्माण क्रियाकलापों को चलाने के लिए प्रयुक्त मुख्य उत्पादन उपकरणों की लागत जैसे करों और शुल्कों सहित औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी की लागत।
- औजारों, सांचों, रंगों और मोल्डों, आदि जैसे उत्पादक उपकरणों, करों और शुल्कों सहित बीमा प्रीमियम की लागत।
- मीटर स्थापना के स्थान से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/प्रेषण के बिन्दु तक संयंत्र की जगह पर संयंत्र के प्रचालन के लिए आवश्यक इलैक्ट्रिकल संघटक (अर्थात् एच.टी. मोटर्स, एल.टी. मोटर्स, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर्स, रिले, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, स्विचगियर्स)
- आपूर्तिकर्ता के परिसरों से इकाई के स्थान तक संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरणों को लाने के लिए दिया गया मालभाड़ा शुल्क।
- भुगतान किया गया ट्रांजिट बीमा प्रीमियम।

ख. वे घटक जिन पर संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा:

- माल को लादने एवं उतारने का शुल्क
- संयंत्र एवं मशीनरी के लिए शेड/भवन
- विविध अचल सम्पत्ति जैसे डीजी सेट, खुदाई/खनन उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, उपर्युक्त क (iii) में उल्लिखित घटकों के अलावा इलैक्ट्रिकल संघटक।
- कच्चे माल तथा अन्य उपभोक्ता स्टोरों सहित कार्यशील पूंजी।
- प्रवर्तन लागत।
- आंतरिक विद्युत संयंत्र
- भंडार उपस्कर
- वे-ब्रिज, प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण
- निर्माण एवं प्रतिस्थापन प्रभार

एक विशेष सीमेंट संयंत्र के लिए संयंत्र एवं मशीनरी

(क) लाइमस्टोन क्रशिंग सेक्शन

- लाइमस्टोन क्रशर
- सभी अनुषंगी जैसे लाइमस्टोन हॉपर के नीचे फीडर, बेल्ट कन्वेयर, डिडस्टिंग उपस्कर जैसे साइक्लोन एंड बैग फिल्टर्स स्क्रीन आदि

3. राँ मिल हॉपर्स के लिए (जैसा कि अपेक्षित है) बेल्ट कन्वेयर, एडिटिक्स क्रशर एंड बेल्ट कन्वेयर वाले लाइम स्टोन स्टैकर एंड रिक्लेमर।

(ख) कच्ची सामग्री का ग्राइडिंग सेक्शन

1. राँ मिल (बार मिल/वीएमआर/रोलर प्रेस एंड बार मिल)
2. सभी राँ मिल अनुषंगी जैसे वे फीडर बिलो हॉपर, सेपरेटर, फैन, बकेट एलिवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, मैग्नेटिक सेपरेटर, मेटल डिटेक्टर, एफके पम्प, फ्लक्सो पम्प, डिडस्टिंग उपस्कर जैसे साइक्लोन, बैग फिल्टर, बैग हाउस/ईएसपी (क्लिन् और मिल दोनों के लिए) फैन सहित आदि।

(ग) राँ मिल एक्सट्रक्शन/क्लिन् फीड सेक्शन

1. राँ मिल साइलो, सोलिड फ्लो मीटर के पहले और बाद में ब्लोअर्स वाले सभी स्लाइड्स
2. क्लिन् फीड बकेट एलिवेटर/एयर लिफ्ट

(घ) पायरो प्रोसेसिंग सेक्शन

1. प्रीहीटर साइक्लोन एंड कैलसाइनर वाले रोटरी क्लिन्
2. सभी अनुषंगी उपस्कर जैसे प्रीहीटर फैन, शैल कूलिंग फैन, ब्लोअर्स, डाऊन कमर डक्ट तथा हॉट गैसों, फ्रेश एयर डम्पर्स के लिए अन्य डक्ट्स आदि।
3. क्लिन् एंड कैलसाइनर के लिए बर्नर, गैस एनालाइजर्स, ताप एवं दाब मापी उपस्कर आदि।
4. क्लिन् कूलर।
5. सभी कूलर अनुषंगी उपस्कर जैसे कूलिंग फैंस, ईएसपी एवं ईएसपी फैन, क्लिन् क्रशर आदि।
6. क्लिन् कनवेइंग उपस्कर जैसे डीप पैन् कनवेयर (डीपीसी)
7. बैग फिल्टर्स, बेल्ट कनवेयर आदि जैसे सभी अनुषंगियों वाले कोयला क्रशर
8. कोयला हॉपर में बेल्ट कनवेयर फीडिंग सहित कोयले के लिए स्टैकर एंड रिक्लेमर
9. कोयला/पेटकोक/लिग्नाइट/वैकल्पिक ईंधनों के लिए फ्यूअल ग्राइडिंग मिल (बार मिल/वीआरएम)
10. सभी कोयला मिल/फ्यूअल ग्राइडिंग मिल अनुषंगी, जिसमें राँ कोल हॉपर के नीचे वे फीडर, सेपरेटर, बकेट एलिवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, बैग हाउस, बैग हाउस पैन् बूस्टर फैन, बेल्ट कनवेयर तथा स्कू कनवेयर, इनेरटाइजेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। इसमें अन्य वैकल्पिक ईंधन के लिए प्रणाली भी शामिल है।

(ङ.) सीमेंट ग्राइडिंग सेक्शन

1. सीमेंट मिल (बार मिल/वीआरएम/रोलर प्रेस एंड बार मिल)
2. सीमेंट मिल अनुषंगी जैसे हॉपर के नीचे वे फीडर, सेपरेटर, बकेट एलिवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड्स, एफके पम्प, फ्लक्सो पम्प, सोलिड फ्लो मीटर, बैग हाउस, बैग हाउस फैन, कनवेयर्स, साइलो/स्टॉकपाइल के नीचे मैटेरियल एक्सट्रक्शन गेट्स, जिप्सम क्रशर, स्लैग आदि के लिए फ्लाइएश/मैकनिकल हैंडलिंग सिस्टम का न्यूमैटिक हैंडलिंग सिस्टम आदि।

(च) पैकिंग सेक्शन

1. पैकर तथा इसकी अनुषंगी इकाइयां जैसे बेल्ट कनवेयर, बेल्ट डायवर्टर, बकेट एलिवेटर स्क्रीन आदि।
2. ट्रक लोडर तथा वैगन लोडर (यदि लागू हो), बल्क लोडिंग एवं पैकेजिंग व्यवस्था।

(छ) अन्य

1. ब्लोअर, पम्प, कम्प्रेसर आदि।
2. बेल्ट कनवेयर (सभी खण्डों के लिए)
3. फैन वाले डि-डस्टिंग बैग फिल्टर्स (अंतरण बिंदु से)
4. सैम्पलर्स
5. हॉट एयर जनरेटर्स, यदि कोई हो
6. संयंत्र के कार्य प्रचालन (प्लान्ट पीएलसी) के लिए सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रिकल तथा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन्फ्रामेंट, जिसमें एचटी एंड एलटी मोटर्स, डीसी मोटर्स, थाइरिस्टर पैनेल, एसपीआरएस सिस्टम, कैपेसिटर्स आदि शामिल हैं।

(ज) इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं

1. वर्कशाप उपस्कर
2. प्रयोगशाला उपस्कर
3. उपर्युक्त छ (6) को छोड़कर विद्युत वितरण संबंधी उपस्कर
4. जलापूर्ति के लिए उपस्कर
5. अग्निशमन उपस्कर
6. उत्खनन मशीनरी
7. संयंत्र/आंतरिक विद्युत संयंत्र के लिए डीसी सेट्स
8. वे-ब्रीज, रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव्स, ट्रक ट्रिप्लर्स आदि
9. संयंत्र भवन (जैसे एमसीसी कमरे, कम्प्रेसर हाउस आदि) तथा गैर-संयंत्र भवन (जैसे स्टोर, प्रशासनिक भवन, कैंटीन आदि)।
10. भंडारण बिल्डिंग जैसे साइलो, हॉपर्स, स्टॉकपाइल्स।

इस्पात एवं रोलिंग मिल के लिए संयंत्र एवं मशीनरी (सेक्शन-वार)**(क) मेल्टिंग सेक्शन**

1. प्रेरण भट्टियां एवं विद्युत चाप भट्टियां, जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल प्रतिस्थापनाएं, गैजेट्स, नियंत्रण पैनल, मीटर, केबल, बसबार्स, आपातकाल जल प्रणाली, मेन वाटर कूलिंग सिस्टम आदि, सभी लगे हों।
2. कास्टिंग सेक्शन: लैडल्स, ऑयल बर्नर्स, गैस पार्जिंग सिस्टम, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, यदि कोई हो, वैक्यूम डिमैसिंग इकाई, यदि कोई हो, सतत ढलाई इकाई, जिसमें मोटर पम्प, विदड्राअल सिस्टम, डीएम वाटर सिस्टम, जल शोधन संयंत्र, कनवेयर बेल्ट आदि लगे हों।
3. अनुषंगी उपकरण एवं क्रेनें।
4. वर्कशॉप मशीनें।
5. विद्युत उपकरण (एचटी मोटर, एल टी मोटर, स्विच बोर्ड, कैप एसीटर्स, रिले सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, स्विच गियर्स)।

(ख) रोलिंग मिलें

1. आरएचएफ (रि-हीटिंग फर्नेस)—संयंत्र मशीनरी में यथा परिभाषित चादरों, रिफ्रैक्ट्री, पुशर मोटर्स, बर्नर्स, चिमनी, रिक्युपिरेटर, एपीसीटी आदि सहित सभी मदें।
2. रफिंग स्टैण्ड, जिसमें मोटर्स, रिपीटर्स (यदि कोई हो), मैकेनाइजेशन (यदि कोई हो) बियरिंग्स, कूलिंग सिस्टम आदि शामिल हैं, जिनकी संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में पहचान की गई है।
3. इंटरमीडिएट स्टैण्ड्स (यथोपरि)
4. फिनिशिंग स्टैण्ड (यथोपरि)
5. क्वेचिंग सिस्टम (टीएमटी के लिए)
6. शियर्स, पिंच रोल
7. कूलिंग बैड सिस्टम
8. क्रेन
9. वर्कशॉप मशीनें (खराद, शेपर, ड्रिल, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, टेम्प्लेट, स्कू गेज, वर्नियर आदि जैसे मापने वाले यंत्र)
10. सहायक उपकरण (संयंत्र मशीनरी के रूप में शामिल)
11. विद्युत उपकरण (करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, मोटर्स, रिएक्टर्स, रिले पैनल, स्वीच गियर, स्टार्टर्स, डिजिटल मोटर्स आदि)
12. अन्य सामग्री संचालन उपकरण (गर्म धातु अंतरण के लिए रोलिंग मिल्स भट्टी क्षेत्र के भीतर)—(कनवेयर जो यंत्रिकरण/आटोमेशन, चैन पुली ब्लॉक आदि में परिणत होता है)।
13. जल प्रणाली उपकरण तथा टावर्स—(धात्विक संदूषण, तेल, ग्रीस आदि को हटाने के लिए वाटर सेटल टैंक, डीएम वाटर प्लांट, यदि कोई हो। वाटर पम्पिंग यूनिट, वाटर कूलिंग पावर/सिस्टम आदि)।
14. सुपर्दगी के लिए पाईपलाइन सहित कोयला पीसने की प्रणाली।

पारिस्थिकीय पर्यटन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की परिभाषा

- (क) हाउसबोट के मामले में, इसकी फिटिंग एवं फिनिशिंग सहित सम्पूर्ण हाउसबोट परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में मानी जानी चाहिए।

- (ख) होटल, रिजोर्ट एवं गेस्ट हाऊस (केवल लद्दाख) के मामले में, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश भूमि तथा भवन की लागत की तुलना में नगण्य है। इसलिए भवन को भी संयंत्र एवं मशीनरी के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा नीचे (ग) में दिए गए मदों को संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाए।
- (ग) संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर की व्याख्यात्मक सूची नीचे दी गई है:—
1. तरणताल के लिए फिल्ड्रेशन संयंत्र।
 2. जल शोधन संयंत्र।
 3. गर्म जल बॉयलर और कमरे को गर्म करने वाला उपकरण (जुड़ा हुआ)।
 4. जल को मृदु बनाने वाला संयंत्र।
 5. भाप निष्कर्षण एवं वेन्टिलेशन संयंत्र।
 6. एयर कंडिशनिंग संयंत्र।
 7. शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) उपकरण।
 8. लांड्री उपकरण।
 9. कूलर एवं रेफ्रिजेशन उपकरण।
 10. बेकरी उपकरण।
 11. मल निपटान संयंत्र।
 12. विद्युत संस्थापन।
 13. शिविर लगाने के लिए टेन्ट।
 14. रसोई उपकरण, कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल।
 15. अग्नि शमन उपकरण (जड़ा हुआ)
 16. दूरभाष उपकरण/एक्सचेंज
 17. लिफ्ट।
 18. सुरक्षित जमा लॉकर।
 19. परिसर के भीतर पम्पिंग सेट और लाइनों सहित ट्यूबवेल्स।
 20. अनन्य रूप से होटल की आवश्यकता के लिए माल वाहन।
 21. सम्मेलन कक्ष के लिए प्रोजेक्टर्स तथा अन्य उपकरण (जड़ा हुआ)
 22. लाईटिंग उपकरण।
 23. ऐड्वेन्चर और वाटर स्पोर्ट्स उपकरण।
- (घ) साहसिक एवं फुरसत के खेलों, क्रीडा/मनोरंजन पार्को, केवल कार, रोपवे और स्पा के लिए मदों एवं संघटकों (भूमि को छोड़कर) की संपूर्ण लागत परियोजना की शुरुआत के लिए अनिवार्य है। साहसिक एवं फुरसत के खेलों आदि के तहत स्वीकार्य मदों की परिभाषा में सम्मेलन कक्ष, ऑडिटोरियम आदि जैसी अतिरिक्त मदों को शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुबंध-III

राज्य स्तरीय समिति की संरचना

- | | |
|--|------------|
| 1. सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य,
हिमाचल प्रदेश/ उत्तराखंड | सदस्य-सचिव |
| 3. निदेशक, लेखा एवं कोष | सदस्य |
| 4. प्रबंध निदेशक, एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल | सदस्य |
| 5. वित्तीय सलाहकार/सीएओ, आईएण्डसी विभाग | सदस्य |
| 6. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के नामिती | सदस्य |
| 7. अध्यक्ष, फेडरेशन चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज
हिमाचल प्रदेश/ उत्तराखंड | सदस्य |
| 8. वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, जैसा लागू हो | सदस्य |

अनुबंध-IV

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए उद्योगों की निषेध सूची

क्र.सं.	उद्योगों की निषेध सूची
01.	सिगरेट और पान मसाला सहित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद ।
02.	ताप विद्युत संयंत्र (कोयला/तेल आधारित) ।
03.	कोयला धोवनशालाएं/शुष्क कोयला प्रसंस्करण ।
04.	औषधीय ग्रेड की ऑक्सीजन (2804.11), औषधीय ग्रेड की हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड (2847.11), कम्प्रेस्ड एयर (2851.30) को छोड़कर अकार्बनिक रसायन ।
05.	प्रोविटामिन्स/विटामिन्स, हारमोन्स (29.36), ग्लाइकोसाइड्स (29.39), शर्करा* (29.40) को छोड़कर कार्बनिक रसायन ।
06.	चर्मशोधन तथा रंजक सत्त, चर्मशोधन तथा उनके व्युत्पन्न, रंजक, रंग, पेन्ट तथा वार्निश, पुट्टी, फिलर्स तथा अन्य मास्टिक्स, इंक।
07.	मार्बल और खनिज पदार्थ जिनको और कहीं वर्गीकृत नहीं किया गया है।
08.	आटा मिलें अथवा चावल मिलें।
09.	कोयले का प्रयोग करने वाली फाउंड्रीज
10.	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद। विटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम
11.	सिंथेटिक रबड़ उत्पाद।
12.	सीमेंट खंगर (क्लिकर) और कच्चा एस्बेस्टोस, फाइबर सहित।
13.	विस्फोटक (औद्योगिक विस्फोटक, डेटोनेटर और फ्यूजेज, आतिशबाजी, माचिस, प्रोपेलेन्ट पाउडर आदि सहित) ।
14.	खनिज अथवा रासायनिक उर्वरक ।
15.	कीटनाशक, फफूंदनाशी और हर्बिसाइड्स तथा पैस्टीसाइड्स (मूलभूत विनिर्माण और सूत्रीकरण) ।
16.	फाइबर कांच और उससे बना सामान।
17.	लुगदी का विनिर्माण-काष्ठ लुगदी, यांत्रिक अथवा रासायनिक (घुलनशील लुगदी सहित)।
18.	ब्रॉडेड एयरेटिड वाटर/सॉफ्ट ड्रिंक (गैर-फल आधारित) ।
19.	कागज:— लिखने और छपाई वाला कागज आदि, कागज अथवा गत्ता आदि, मैपलिथो कागज आदि, अखबारी कागज, बंडलों अथवा शीटों में, क्राफ्ट कागज आदि, सैनिटरी टॉवेल आदि, सिगरेट का कागज ग्रीज प्रूफ कागज, टायलट अथवा फेसियल टिश्यू, पेपर और गत्ता, आंतरिक रूप से विटुमन, टार अथवा एसफाल्ट से लेमिनेटड, कार्बन अथवा इसी प्रकार के कोपीइंग कागज, कागज की शीटों अथवा गत्ते से निमित्त, इमप्रेगनेटड, कोटेड अथवा प्लास्टिक से ढका उत्पाद आदि, मोम से कोटेड, इमप्रेगनेटिड अथवा ढका हुआ कागज और गत्ता,
20.	प्लास्टिक और उससे निर्मित वस्तुएं।

* सिंथेसिस द्वारा चीनी के पुननिर्माण की अनुमति नहीं है और चीनी के डाउनस्ट्रीम उद्योगों की भी अनुमति नहीं है ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**New Delhi, the 4th March, 2014

F.No.2(1)/2013-SPS.—The Government of India is pleased to notify the extension of the following scheme of Central Grant or Subsidy under Special Package – II for Industrial units in the states of Himachal Pradesh and Uttarakhand with a view to accelerating the industrial development in these States.

1. **Short Title:-** This scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013. *It will be a Central Sector Scheme.*
2. **Commencement and duration of the Scheme:-** It will come into effect from the 7th January, 2013 and remain in force upto and inclusive of 31-03-2017.
3. **Applicability of the Scheme:-** The scheme is applicable to all new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in Growth Centres or Industrial Infrastructure Development Centres (IIDC) or Industrial Estates/Park/Export Promotion Zones and Commercial Estates set up by states of Himachal Pradesh and Uttarakhand. The scheme is also applicable to new industrial unit and existing industrial unit on their substantial expansion in the specified Thrust Industries (**Annexure-I**) located outside these Growth Centres and other identified locations.

4. Extent of admissible subsidy :

All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion, would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs. Micro, Small and Medium enterprises would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of the investment in plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 50 lakh.

5. Eligibility period:-

The subsidy will be available for the duration of the scheme to such units which have pre-registered and commence commercial production/operation prior to 31-03-2017. The unit should file its claim as per prescribed procedure at District Industry Centre concerned within one year from date of commencement of commercial production/operation.

6. *The industrial unit registered before 07-01-2013 under the erstwhile scheme of subsidies and have filed the claims within one year from the date of commencement of commercial production/operation would be eligible for subsidies under erstwhile scheme. Units which have registered on or after 07-01-2013 would be covered under the present scheme. However, if such a unit has not registered with DIC (District Industry Centre) due to non-existence of the package during the intervening period or not submitted claim within one year of the date of commencement of commercial production/operation, the unit can do so not later than 31st May, 2014.*

7. Definitions:-

(i). **“Industrial Unit”** means any industrial unit where a manufacturing programme is carried on or a suitable servicing unit as defined in M/o SSI letter No. 2(3)/91-SSI.Bd. dated 30-09-1991, other than that run Departmentally by the Government.

(ii) **‘New Industrial Unit’** means an industrial unit which commences commercial production/operation on or after 7th January, 2013.

(iii) **‘Existing Industrial Unit’** means an industrial unit which has commenced commercial production/operation before 7th January, 2013.

(iv) **‘Substantial Expansion’** means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity.

(v) **‘Fixed Capital Investment’** means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme.

(vi) **‘Micro, Small and Medium Enterprises’** means enterprises as classified under sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, as amended from time to time”

(vii). In calculating the value of **Plant and Machinery**, the cost of industrial plant and machinery at site will be taken into account. Further explanatory note is at **Annexure-II**.

- 8. The approval of claims of subsidy will be as follows:**
- i) A State Level Committee headed by Secretary, Industry will approve claims for subsidy. The composition of the State Level Committee is at **Annexure-III**.
 - ii) **Operational Guidelines** for approval of the claims under para (i) above shall be notified separately by the Govt. of India.
- 9. Negative list :-** The list of industries not eligible for subsidy under Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2013 is given at **Annexure-IV**.
- 10.** Expenditure on second hand plant and machinery and plant and machinery for which payment has been made in cash, would not be eligible for consideration of the subsidy.
- 11.** A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the Central Government or from the State Government. A unit seeking subsidy should certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.
- 12. Designated agency for disbursement of subsidy**
- Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC) and State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIDCUL) shall be the designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy on the basis of the recommendation of the State Government in the states of Himachal Pradesh and Uttarakhand respectively. HPSIDC and SIDCUL shall furnish the Utilization Certificate to Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion against the funds released for disbursement of subsidy to the eligible units as per extant guidelines. HPSIDC and SIDCUL shall disburse the subsidy to the eligible industrial unit through ECS and RTGS system within 30 days from the date of release of funds by PAO to the account of nodal agency.
- 13. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions**
- If the Central Government/State Government/Financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/operation within 5 years after commencement, the unit would be liable to refund the grant or subsidy after being given an opportunity of being heard.
- 14.** No owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the grant or subsidy will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production/operation without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/Financial Institution concerned.
- 15.** 100% physical verification of the actual establishment and working status of each of the units availing subsidy under the scheme will be done by State Government through District Industries Centres. District Industries Centres shall submit Annual Report to the Directorate of Industries and HPSIDC / SIDCUL about the functionality of the units. HPSIDC / SIDCUL shall thereafter submit Annual Report to the Department of Industrial Policy and Promotion about the functionality of the units availing subsidy under the scheme. After receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall also submit Annual Progress Report to the State Government with a copy to Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC) and State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIDCUL) about its working for a period of 5 years after going into commercial production/operation.
- 16.** *2% of outlay would be kept for monitoring and IEC including engagement of PMA.*

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Annexure-I

LIST OF THRUST INDUSTRIES FOR STATES OF HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.

Sl.No.	List of Thrust Industries
01.	Floriculture
02.	Medicinal herbs and aromatic herbs etc. – processing
03.	Honey
04.	Horticulture and Agro based Industries such as :- <ul style="list-style-type: none"> a. Sauces, Ketchup etc. b. Fruit juices & fruit pulp c. Jams, Jellies, vegetable juices, puree, pickles etc. d. Preserved fruits and vegetables e. Processing of fresh fruits and vegetables including packaging. f. Processing, preservation, packaging of mushrooms.
05.	Food processing industry excluding those included in the negative list.
06	Sugar and its by-products.
07.	Silk and silk products.
08.	Wool and wool products.
09.	Woven fabrics (Excisable garments)
10.	Sports goods and articles and equipment for general physical exercise and equipment for adventure, sports activities,
11.	Paper and paper products excluding those in negative list
12.	Pharma products.
13.	Information & communication technology, Computer hardware.
14.	Bottling of mineral water
15.	Eco tourism – Hotels, resorts, spa, entertainment/amusement parks and ropeways.
16	Industrial gases (based on atmospheric fraction)
17.	Handicrafts
18.	Non-timber forest product based industries

ANNEXURE-II**A. Components to be included for computing the value of Plant & Machinery:**

- i. Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.
- ii. Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium etc including taxes and duties.
- iii. Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).
- iv. Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.
- v. Transit Insurance premium paid.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant and Machinery:

- i. Loading and unloading charges
- ii. Sheds/buildings for Plant & Machinery.
- iii. Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation / Mining equipments, Handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.
- iv. Working Capital including Raw Material and other consumable stores.
- v. Commissioning cost.
- vi. Captive Power Plants
- vii. Storage equipments
- viii. Weigh bridge, Laboratory testing equipment
- ix. Erection and installation charges

PLANT & MACHINERY FOR A TYPICAL CEMENT PLANT**A. Limestone crushing section**

1. Limestone crusher
2. All crusher auxiliaries like feeder below limestone hopper, belt conveyor, dedusting equipments like cyclone & bag filters, screen etc.
3. Limestone stacker & Reclaimer with belt conveyor, Additive(s) crusher & belt conveyor (as required) feeding to Raw Mill Hoppers

B. Raw Material grinding section

1. Raw mill (Ball Mill/VRM/Roller Press & Ball Mill)
2. All raw mill auxiliaries like weigh feeder below hopper, separator, fans, bucket elevator, rotary air lock, air slides, magnetic separator, metal detector, FK Pump, Fluxo Pump, dedusting equipments like cyclone, bag filters, Bag house/ ESP (common for kiln & mill) with fan etc.

C. Raw meal extraction/kiln feed section

1. All slide with blowers before & after raw meal silo, solid flow meter.
2. Kiln feed bucket elevator/airlift

D. Pyro processing section

1. Rotary kiln with preheater cyclones & calciner.
2. All auxiliary equipments like preheater fan, shell cooling fans, blowers, down comer duct and other ducts for carrying hot gases, fresh air dampers etc.
3. Burner for Kiln & Calciner, Gas analysers, Temperature & pressure measuring equipment etc.
4. Clinker Cooler.

5. All cooler auxiliaries equipments like cooling fans, ESP & ESP fan, clinker crusher etc.
6. Clinker conveying equipment like Deep pan conveyor (DPC)
7. Coal crusher with all auxiliaries like bag filters, belt conveyor etc.
8. Staker & Reclaimer for Coal including belt conveyor feeding to coal hopper
9. Fuel Grinding Mill (Ball Mill/ VRM) for Coal/petcoke/lignite/alternate fuels
10. All coal mill/Fuel grinding mill auxiliaries including weigh feeder below raw coal hopper, separator, bucket elevator, rotary air lock, air slides, bag house, bag house fan booster fan, belt conveyor & screw conveyor, inertisation system etc. This also includes system for other fuel alternate fuel.

E. Cement grinding section

1. Cement mill (Ball Mill/VRM/Roller Press & Ball Mill)
2. Cement Mill auxiliaries like weigh feeder below hopper, separator, bucket elevator, rotary air lock, air slides, FK Pump, Fluxo Pump, solid flow meter, bag house, Bag house fan, conveyors, Material extraction gates below Silo/ stockpile, Gypsum crusher, Pneumatic Handling system for Flyash/ Mechanical handling system for slag etc.

F. Packing Section

1. Packer & its auxiliaries such as belt conveyor, belt diverter, bucket elevator, screen etc.
2. Truck loader & Wagon loader (if applicable), Bulk Loading & Packaging arrangement.

G. Others

1. Blowers, Pumps, compressors etc.
2. Belt Coveyors (for all sections)
3. De-dusting bag filters (across transfer points) with fans.
4. Samplers
5. Hot Air Generator if any
6. Electrical and Control & instrumentation equipment alongwith software for plant operation (plant PLC) including HT & LT Motors, Dc Motors, Thyristor Panels, SPRS System, Capacitors etc.

H. Exclusions:-

1. Workshop equipment
2. Laboratory equipments
3. Equipment for power distribution other than those at G (6) above
4. Equipment for water supply
5. Fire Fighting Equipment
6. Mining machinery
7. D.G. Sets for Plant/captive power plant
8. Weigh Bridge, Railway Siding, Locomotives, Truck Trippers etc.
9. Plant Building (like crusher building, mill house etc.), Auxiliary building (like MCC rooms, compressor house etc) and Non Plant Buildings (like Store, Administrative building, canteen etc.)
10. Storage Building like Silo, Hoppers, Stockpiles.

PLANT & MACHINERY FOR A STEEL AND A ROLLING MILL (SECTION WISE)

A. MELTING SECTION

1. Induction Furnaces & Electric Arc Furnaces with all electrical installations, gadgets, control panels, meters, cables, busbars, emergency water system, main water cooling system etc
2. Casting Section: Ladles, oil burners, gas purging system, ladle refining furnace, if any, vacuum degassing units, if any, continuous casting unit with motors, pumps, withdrawal system, DM water system, water treatment plant, conveyor belts, etc.

3. Auxiliary Equipments & Cranes.
4. Workshop Machines
5. Electrical Equipments (HT Motor, LT motor, Switch Board, Capacitors, Relay Circuit Breakers, Panel Boards, Switch Gears).

B. ROLLING MILLS

1. RHF (Re-heating Furnace)- all items including Sheets, Refractory, Pusher Motors, Burners, Chimney, recuperator, APCD etc. as defined in Plant & Machinery.
2. Roughing Stand including motors, repeaters (if any), mechanization (if any), bearings, cooling systems etc. which are defined as Plant & Machinery.
3. Intermediate stands (as above)
4. Finishing stands (as above)
5. Quenching system (for TMT)
6. Shears, Pinch Roll
7. Cooling Bed Systems
8. Crane
9. Workshop Machines (Lathe, Shaper, Drills, Grinders, Milling Machine, Templates, measuring equipments like screw gauge, vernier etc.)
10. Auxiliary equipments (included as Plant Machinery)
11. Electrical equipments (Current transformers, circuit breakers, panel boards, motors, reactors, Relay panels, switch gears, starters, digital meters, etc.)
12. Other material handling equipments (within the Rolling Mills furnace area for hot metal transfer) – (Conveyor which lead to mechanization/automation, chain pulley blocks etc.)
13. Water System equipments and towers- (Water settle tanks for removal of metallic contamination, oil, grease, etc., DM water plant, if any. Water pumping units, water cooling power/system etc.
14. Coal Pulverizer system including Pipeline for delivery

Definition of Plant & Machinery for Eco-Tourism.

- (a) In the case of Houseboats, the entire houseboat project along with its fitting and furnishing should be treated as plant and machinery.
- (b) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddakh only) , the investment in plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. Therefore, building should also be included as a part of plant and machinery. Besides this, the items given at (c) below may be taken into account for calculating the value of plant and machinery
- (c) An illustrative list of plant and machinery/equipment is given below:
 1. Filtration plant for swimming pool.
 2. Water purification plant.
 3. Hot water boiler and room heating equipment (fixed)
 4. Water softening plant
 5. Fume extraction and ventilation plant.
 6. Air conditioning plant.
 7. Cold Storage equipment.
 8. Laundry equipment.
 9. Cooler and refrigeration equipment.
 10. Bakery equipment
 11. Sewage disposal plant
 12. Electrical installations

13. Tents for camping
 14. Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table.
 15. Fire- fighting equipment (fixed)
 16. Telephone equipment/exchange.
 17. Lifts
 18. Safe deposit lockers
 19. Tube wells along with pumping sets and lines within the campus
 20. Goods carrier exclusively needed for the hotel.
 21. Projectors and other equipment's for conference hall (fixed).
 22. Lighting equipment.
 23. Adventure and water sports equipment's.
- d) For adventure & leisure sports, amusement/entertainment parks, cable car, ropeways and spa, the entire cost of items and components (excluding land) essential for commissioning the project. Definition of admissible items under adventure & leisure sports etc. exclude additionalities such as conference room, auditorium etc.

ANNEXURE -III**Composition of State Level Committee**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Secretary, Department of Industry & Commerce, Himachal Pradesh / Uttarakhand. | Chairman |
| 2. | Director, Industries and Commerce, HP/UK | Member Secretary |
| 3. | Director, Accounts and Treasuries | Member |
| 4. | MD, HPSIDC / SIDCUL | Member |
| 5. | Financial Advisor/CAO, I&C Department | Member |
| 6. | Nominee of DIPP | Member |
| 7. | President, Federation Chamber of Industries, Himachal Pradesh / Uttarakhand | Member |
| 8. | Representative of Financial Institutions, as applicable | Member |

ANNEXURE-IV**NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES FOR HIMACHAL PRADESH AND UTTARAKHAND.**

Sl. No.	Negative list of Industries
01.	Tobacco and tobacco products including cigarettes and pan masala.
02.	Thermal Power Plant (coal/oil based)
03.	Coal washeries / dry coal processing.
04.	Inorganic Chemicals excluding medicinal grade oxygen (2804.11), medicinal grade hydrogen peroxide (2847.11), compressed air (2851.30)
05.	Organic Chemicals excluding Provitamins / vitamins, Hormones, (29.36), Glycosides (29.39), sugars* (29.40)
06.	Tanning and dyeing extracts, tanins and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and other mastics, inks.
07.	Marble and mineral substances not classified anywhere.
08.	Flour mills and rice mills.
09.	Foundries using coal.
10.	Minerals fuels, mineral oils and products of their distillation. Bituminous substances, mineral waxes.
11.	Synthetic rubber product.
12.	Cement clinkers and asbestos, raw including fibre.
13.	Explosive (including industrial explosives, detonators & Fuses, fireworks,

	matches, propellant powder etc.)
14.	Mineral or chemical fertilizers.
15.	Insecticides, fungicides, herbicides, & pesticides (basic manufacture and formulation)
16.	Fibre glass and articles thereof.
17.	Manufacture of pulp – wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp).
18.	Branded aerated water / soft drinks (non-fruit based).
19.	Paper:- Writing or printing paper etc., Paper or paperboard etc., Maplitho paper, etc, Newsprint, in rolls or sheets, Craft paper etc, Sanitary towels, etc. Cigarette paper Grease-proof paper, Toilet or facial tissue, etc. Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt. Carbon or similar copying paper Products consisting of sheets of paper or paper board, impregnated, coated or covered with plastics, ets. Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, etc.
20.	Plastics and articles thereof.

* Serial No. 5 ; Reproduction synthesis not allowed as also downstream industries for sugar.